दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

नौकरी के नाम पर धोखाधडी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के बोधघाट पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर 06 लाख 73 हजार रूपये हड़पने वाले आरोपी मनोज बिसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धोखाधडी के मामले में प्रार्थिया कु. शालिनी कश्यप निवासी हाटकचोरा से आरोपी मनोज बिसाई के द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 06 लाख 73 हजार रूपये लेकर धोखाधडी करने संबंधि रिपोर्ट थाना बोधघाट में दर्ज करायी थी। जिस पर थाना बोधघाट में धारा 420 भादवि. का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। ग्राम राजनगर में आरोपी मनोज बिसाई के निवास पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश देकर कर पकड़, आरोपी ने प्रार्थिया से नौकरी दिलाने की बात कहकर 06 लाख 73 हजार रूपये लेकर ठगी करना स्वीकार किया है।

थल सेना भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय थलसेना की भर्ती रैली-दुर्ग में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की लिखित परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई 2021 को कलिंगा युनिवर्सिटी कोटनी नया रायपुर में किया जाना था। अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दी गयी है।

युवती ने पहाड़ पर लगाई फांसी

महासमुंद (आरएनएस)। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम लभराकला की एक युवती ने सोनई रूपई पहाड़ी के ऊपर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। थाना से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों की सूचना पर टीम सोनई रूपई पहाड़ी के ऊपर जायजा लेने पहुंची तो उन्हें लभराकला गांव की राधिका खड़िया पिता खिलावन खड़िया (27) की लाश पेड़ पर लटकते मिली। पुलिस ने शव को उतारकर पीएम के लिए भिजवा दिया। पीएम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष सूरज निर्मलकर के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रजककार बोर्ड बनाने के निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धोबी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बोर्ड के गठन की समाज द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होगी। समाज के प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से महासमुंद जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सीमा देवानंद निर्मलकर, पार्षद उमा चंद्रहास निर्मलकर, बेलतरा के मधु पवन निर्मलकर, हिमलेश निर्मलकर, मुंगेली जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद रजक, प्रादेशिक प्रवक्ता श्री अमन निर्मलकर, युवा प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी बरेठ, प्रदेश महासचिव श्री बजरंगी छाटा, पवन निर्मलकर सहित समाज के अनेक पदाधिकारी शामिल थे।

रेल्वे स्टेशन के समीप हुए हत्या का आरोपी गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम कन्हारगांव निवासी मृतक कन्हैयालाल गावड़े का शव 03 जून को रेल्वे स्टेशन के समीप एक झोपड़ी में मिला था। पत्नी सम्पतिन गावड़े की रिपोर्ट पर थाना भानुप्रतापपुर में मर्ग क्र.049/21 धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग पंजीबद्ध कर मर्ग पंचनामा कर जांच जारी थी। पुलिस पहले इस मामले को सामान्य रूप से देख रही थी, जब समाचार पत्रों में मृतक के द्वारा मौत से पहले अपनी जमीन खरीदी बिक्री को लेकर हुई धोखाधड़ी की शिकायत पर जांच नही होने का मामला सामने आने के बाद सर्व आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपकर मामले की सूक्ष्म जांच व दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई थी।

राज्य योजना आयोग ने कृषि, जल संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण व संबंध क्षेत्र के विकास पर गठित टॉस्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

रायपुर (आरएनएस)। कृषि, जल संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण व संबंध क्षेत्र के विकास पर गठित टॉस्क फोर्स की प्रथम बैठक का योजना भवन, नवा रायपुर में प्रदीप शर्मा, सलाहकार, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य, राज्य योजना आयोग द्वारा बतलाया गया कि राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के समग्र विकास हेतु सुझाव एवं अनुशंसाएँ प्रदान करने 14 टॉस्क फोर्स गठित की गई है। ''कृषि, जल संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण व संबंध क्षेत्र के विकास'' संबंधित विषय पर गठित टॉस्क फोर्स में लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों, सामाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। बैठक में प्रदीप शर्मा ने शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संबंध में हुई प्रगति एवं बेहतर क्रियान्वयन की संभावना हेतु सुझाव दिये गये। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुये समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य की मत्स्य पॉलिसी तथा एक्वाकल्चर विलेज के विकास की आवश्यकता बतलाई। गौठान समिति की सक्रिय भागीदारी हेतु सतत् प्रोत्साहन व क्षमता विकास की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने कहा कि गौठान में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन कर उसके विक्रय से कई महिला स्व-सहायता समूह आय अर्जन कर रहे है। समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पादों के रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के माध्यम से प्रभावी विपणन हेतु टॉस्क फोर्स से सुझाव अपेक्षित किये गये।

अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा बतलाया गया कि राज्य में आर्गेनिक एवं नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का निर्धारण किया जाना उचित होगा।

बैठक में यशवंत कुमार, संचालक, कृषि द्वारा प्रभावी विपणन हेतु ई-कामर्स सुविधा विकसित किये जाने पर जोर दिया। संचालक, पशुपालन द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा नवाचार जैसे- सेक्स सौर्टेड सीमन उपयोग, हीट सिन्क्रोनाईजेशन तकनीक का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सफलता से किया गया है। जिसके राज्य में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है।

माथेश्वरण, संचालक, उद्यानिकी द्वारा उद्यानिकी फसलो हेतु पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग तथा वेल्यू एडिशन की आवश्यकता बतलाई। टास्क फोर्स सदस्य डॉ. जी.वी. रामनजानेयुलु, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हैदराबाद द्वारा बतलाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऑर्गेनिक उत्पादन की बहुत संभावना है तथा राज्य में वृहद जैव विविधिता होने से नये प्रोडक्ट लाने की अत्यन्त संभावनाएँ है। डॉ. कविता कुरूगांती, एलायंस फार सस्टेनेबल एण्ड हालिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), नई दिल्ली द्वारा बतलाया गया कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हेतु समुदायिक स्तर पर मानव संसाधन तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

निलंबित जीपी सिंह की सीबीआई जांच कराने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

बिलासपुर (आरएनएस)। निलंबित एडीजी जीपी सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

इसी तरह राजद्रोह प्रकरण में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने जीपी सिंह की दोनों याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी, और फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को दोनों याचिका पर कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं और इसमें भी जीपी सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। जीपी सिंह की तरफ से पैरवी सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने की, और राजद्रोह प्रकरण में सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमृतोदास ने पैरवी की।

साथ ही आय से अधिक संपत्ति प्रकरण पर एसीबी की तरफ से राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटीएस तुलसी उपस्थित हुए। कोर्ट ने जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी। जीपी सिंह ने अंतरिम राहत की मांग को लेकर अपनी पहली याचिका लगाई थी। एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी।

नहर में डूबकर लापता हुए बच्चे का शव खरसिया में मिला

कोरबा (आरएनएस)। सोमवार को नहाते समय नहर में लापता हुए बच्चे का शव चौथे दिन गुरुवार को 100 किमी दूर खरसिया क्षेत्र में मिला, जो नहर में बहते हुए वहां पहुंच गया था। सीतामणी क्षेत्र के वैष्णो देवी मंदिर के पास 10 वर्षीय युगल महंत नहर में नहा रहा था। पानी के तेज बहाव में डूबकर वह लापता हो गया था। पुलिस समेत लोग व परिजन लापता बच्चे की खोजबीन कर रहे थे। 2 दिन तक बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजन ने बुधवार सुबह सीतामणी के पास मुख्य मार्ग पर चक्काजाम भी किया था। पुलिस की समझाइश पर चक्काजाम समाप्त किया था। नहर में पानी का बहाव ज्यादा होने से लापता के बहकर दूर जाने की आशंका पर पुलिस ने पड़ोसी जिलों के थानों में सूचना दी थी, जहां से होकर नहर गुजरी है। गुरुवार सुबह जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र के डंगनिया के पास नहर में एक बच्चे का शव बहते हुए खरसिया की ओर जाने की सूचना सक्ती पुलिस को मिली। इसके बाद कोरबा पुलिस को सूचना देकर नहर में नजर रखी जा रही थी। इस बीच खरसिया क्षेत्र के बरगढ़ के पास नहर में शव मिला, जिसे नहर से निकाला गया।

मोबाइल पर फोटो भेजने पर उसकी शिनाख्त शहर से लापता युगत महंत के रूप में हुई। इसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम बच्चे के परिजन को लेकर वहां पहुंचे। जहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। सिटी कोतवाली टीआई विवेक शर्मा के मुताबिक नहर में पानी का बहाव तेज से लापता बच्चा बह गया। इस कारण उसका शव शहर से 100 किलोमीटर दूर मिला।

सुबह की सैर पर निकले 4 युवकों को ट्रक ने रौंदा, हुई मौत

» दूसरी घटना में बस की चपेट में आकर कंडक्टर की मौत

कांकेर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आज अलग-अलग हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यहां के बारदेवरी में मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया। सेना में जाने का सपना लेकर रोज सुबह उठकर मेहनत करने वाले चार युवकों को तेज रफ्तार ट्रक कुचलकर फरार हो गया. चारों कोंदागांव चौक पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. मौके पर ही चारों युवकों की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भानुप्रतापपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों की जिंदगियां छीन लीं. बारदेवरी के रहने वाले प्रलय देहारी, रोशन राणा, पुष्पराज नाग, हितेश नाग जिनकी उम्र लगभग 16 से 18 साल की थी, उन्हें ट्रक ने कुचल दिया इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कांकेर-भानुप्रतापपुर मुख्य मार्ग जाम कर दिया. चारों युवकों का शव सड़क पर ही पड़ा था. ग्रामीणों की मांग है कि जब तक आरोपी ट्रक चालक नहीं पकड़ा जाता, तब तक शव सड़क से नहीं हटाया जाएगा. जानकरी के अनुसार, जाम में फंसे एक बस का कंडक्टर भी हादसे का शिकार हो गया है. ड्राइवर को जाम से निकालने के लिए साइड बताते वक्त बस चालक ने अपने ही कंडक्टर को कुचल दिया. ड्राइवर बस को पीछे ले रहा था, जब ये हादसा हुआ. बस के ठीक पीछे ही कंडक्टर खड़ा था. मौके पर उसकी भी मौत हो गई।

विस्फोटकों के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार

सुकमा (आरएनएस)। जिला में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना चिंतलनार से कोबरा बटालियन एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी सर्चिंग में नक्सली आरोपियों की धरपकड़ के लिए ग्राम रावगुड़ा, कोत्तागुड़ा की ओर रवाना हुये थे, अभियान के दौरान ग्राम रावगुड़ा-कोत्तागुड़ा के बीच जंगल में सर्चिंग के दौरान 02 नक्सलियों 01. बारसे हिड़मा पिता स्व. बारसे कोसा उम्र 40 वर्ष जाति गोंड, 02. मुचाकी सुक्का पिता स्व. मुचाकी सन्नू उम्र 25 वर्ष जाति मुरिया दोनों का साकिनान ग्राम तोलेवर्ती थाना जगरगुण्डा का निवासी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली बारसे हिड़मा के थैला से 04 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 03 नग जिलेटिन रॉड, 03 मीटर कोर्डेक्स वायर, 10 मीटर बिजली वायर, 05 नग पेंसिल सेल, एवं मुचाकी सुक्का के थैला मे से 03 नग जिलेटिन रॉड, 04 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 04 मीटर कोर्डेक्स वायर, 07 नग पेंसिल सेल एवं अन्य दैनिक उपयोगी बरामद किया गया। उक्त अवैध विस्फोटक सामाग्री रखने एवं ले जाने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध थाना चिंतलनार में प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय सुकमा के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया।

रायपुर कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में देश के महानगरों से आगे

» रायपुर शहर में 66.40 फीसद को प्रथम तथा 19.82 फीसद लोगों को लगा दोनों डोज का टीका

रायपुर । कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर देश की राजधानी दिल्ली सहित कई महानगरों से आगे है। रायपुर शहर में अब तक 66.40 प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रथम डोज का टीका तथा 19.82 प्रतिशत लोगों को दोनों डोज का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना टीकाकरण के मामले में रायपुर शहर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलूरू से आगे हैं।

दिल्ली में अब तक 35.01 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज तथा मात्र 11.01 प्रतिशत लोगों को टीके की दोनों डोज लगी है। इसी तरह बैंगलूरू में 57.08 फीसद लोगों को प्रथम तथा 14 फीसद लोगों को टीके के दोनों डोज लगे हैं। हैदराबाद में 53.07 फीसद लोगों को प्रथम तथा 13.04 फीसद लोगों को दोनों डोज के टीके लगे है। इसी तरह चेन्नई में प्रथम एवं द्वितीय डोज वैक्सीनेशन का प्रतिशत क्रमशः 51.06 एवं 17.09 है। मुम्बई में 51.01 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज तथा 15.07 प्रतिशत लोगों को द्वितीय डोज का टीका लग चुका है। कोलकाता में 61.08 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज तथा 21 प्रतिशत लोगों को द्वितीय डोज का टीका लगा है।

कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1.16 करोड़ टीके लगाए गए- कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक (22 जुलाई तक) एक करोड़ 15 लाख 73 हजार 458 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 94 लाख दस हजार 415 लोगों को इसका पहला टीका और 21 लाख 63 हजार 043 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में तीन लाख नौ हजार 094 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 16 हजार 717 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 50 लाख 59 हजार 784 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 37 लाख 24 हजार 820 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 43 हजार 880 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 23 हजार 659 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 15 लाख 95 हजार 478 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के एक लाख 026 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

डेथ ऑडिट कराने के प्रदेश सरकार के फ़ैसले कोरोना-मौतों के आँकड़ों लेकर भाजपा की आशंकाओं को प्रामाणिक सिद्ध किया : भाजपा

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में 01 मार्च से अब तक हुई मौतों के डेथ ऑडिट कराने के लिए गए फ़ैसले ये यह बात आईने की तरह साफ़ हो गई है कि कोरोना से हुई मौतों के आँकड़ों लेकर भाजपा की आशंकाएँ पूरी तरह प्रामाणिक थीं। चंद्राकर ने कहा कि ऑक्सीज़न की उपलब्धता के दावे करने वाली प्रदेश सरकार अब ऑक्सीज़न की कमी से हुई मौतों का पता लगाने की बात कहकर अपने ही झूठ के चक्रव्यूह में घिरती नज़र आ रही है।

चंद्राकर ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और एक समय मौजूदा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे टीएस सिंहदेव के उस कथन पर भी कटाक्ष किया है, जिसमें उन्होंने यह भी संभव बताया है कि राज्य में अब तक कोरोना मौतों की संख्या का आँकड़ा बढ़ जाएगा। चंद्राकर ने कहा कि अभी तक जब भाजपा आरोप लगाती थी कि छत्तीगढ़ में जो कोरोना से मौतें रिपोर्ट हुई हैं, वह ग़लत है और तब कांग्रेस के लोग चीख-चीखकर इन आरोपों को झूठा बताकर मौतों के रिपोर्ट हुए आँकड़ों को सही ठहरा रहे थे। अगर कांग्रेस के ये दावे सही थे तो अब प्रदेश सरकार को कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? चंद्राकर ने कहा कि मौतों के आँकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार का मौजूदा रुख भाजपा के दावे को सही साबित करता है और अब कोरोना से हुई मौतों को छिपाने के लिए पहले तो प्रदेश सरकार राज्य से बिना शर्त माफ़ी मांगे। इसी तरह प्रदेश में ऑक्सीज़न को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा था कि प्रदेश में भरपूर ऑक्सीज़न है और चार राज्यों को छत्तीसगढ़ से ऑक्सीज़न भेजी जा रही है।

चंद्राकर ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में सरप्लस ऑक्सीज़न के दावे करने वाली प्रदेश सरकार को अब यह पता करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीज़न की कमी से कोई मौत हुई है या नहीं? चंद्राकर ने क्षोभ व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस के लोगों के लिए महामारी की त्रासदी और आपदा केवल अपने राजनीतिक अवसर तलाशने का ज़रिया मात्र है। कांग्रेस के नेता अपनी ही कही बातों से बार-बार पलटते रहते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री ... श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ... एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षेत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्त विरासत पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU